30/2015 598

संख्या:- पांच-9-2015-9(127)/2012टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

(1) समस्त जिला–मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मुख्यचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्साअनुभाग--9 **लखनऊ, दिनांक 27 अप्रैल, 2015**

विषय:-नियत दिवस परिवार नियोजन सेवाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने एवं अनापूरित माँग (Unmet Need) को पूर्ण करने हेतु आवश्यक है कि नियत दिवस पर नसबन्दी के साथ-साथ अन्तराल विधियों की सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रो की संख्या में वृद्धि की जाये। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा शासना देश संख्या-142/पांच-9-2015-9(127)/12 दिनांक 27 जनवरी 2015 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

1- जननी सुरक्षा योजना के प्रारम्भ होने के उपरान्त संस्थागत प्रसवो की संख्या में वृद्धि हुई है, परन्तु लाभार्थियों को प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करने हेतु समुचित व्यवस्था के साथ-साथ प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाएं/कॉपर-टीनिवेशन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कई लाभार्थी परिवार नियोजन की सेवाओ से वंचित रह जाते हैं।

2- विगत कई वर्षों की माहवार उपलब्धि के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकतर नसबन्दी आपरेशन माह दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में शिविरों के माध्यम से हो रहे हैं। अत: एक समय विशेष पर ही अधिक संख्या में नसबन्दी आपरेशन करने से सेवा केंद्रो पर कार्यभार बढ़ जाता है, को दृष्टिगत रखते हुए नियत दिवस पर परिवार नियोजन की सेवायें उपलब्ध कराकर गुणवत्ता के साथ-साथ प्रसव पश्चात नसबन्दी/कॉपर-टी निवेशन सेवायें प्रदान करने से अनापूरित माग को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।

3- नियत दिवस पर परिवार नियोजन सेवाओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस रणनीति के माध्यम से सेवा केंद्रो पर एक नियत दिवस का चयन कर उस नियत दिवस पर सम्बंधित सेवा केन्द्र पर तैनात सेवा प्रदाता चिकित्सकों/परा-चिकित्सक कर्मियों के माध्यम से नसबन्दी के साथ-साथ अन्य विधियों की सेवायें प्रदान की जाती हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः नियत दिवस पर परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जनपदीय नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे सेवा केंद्रो के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों व अधीक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद में स्थायी व अस्थायी विधियों की नियत दिवस पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी कार्य योजना विकसित करें।
- सर्व प्रथम अपने जनपद के ऐसे सेवा केंद्रो (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)को चिन्हित करें, जहा सप्ताह में 01 दिन नसबन्दी (लैप्रोस्कोपिक/मिनीलैप/ एन0एस0वी0)सहित परिवार नियोजन की अन्य विधियों की सेवायें प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियाशील ओ0टी0, मानवसंसाधन, औषधिया, कन्ज्यूमेबल्स, विसंक्रमणव्यवस्था आदि की उपलब्धता है।
- तत्पश्चात् एक दिवस विशेष का चयन कर इस आशय की जानकारी जन समुदाय तक पहुचाने हेतु अपने जनपद के क्षेत्रीय कर्मियों का अभिमुखीकरण किया जाये।
- नियत दिवस सेवाओं के सम्बन्ध में विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।
- कॉपर-टी सेवाओं हेतु उपकेन्द्र स्तर पर भी नियत दिवस का चयन किया जाये । इस हेतु सप्ताह में 02 दिन का चयन किया जाये।
- प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रो के स्तर तक प्रयाप्त मात्र में गर्भ निरोधक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- अपने स्तर पर चिकित्सकों /कर्मियों की सेवा केंद्रो की तैनाती /ड्यूटी इस प्रकार लगायी जाये कि जिन सेवा केंद्रो को नियत दिवस सेवाओं हेतु चिन्हित किया गया है, उन पर सेवा हेतु नियत दिवस वाले दिन पर मानव संसाधन की कमी न रहे।
- यदि जनपद में प्रशिक्षित चिकित्सकों /परा-चिकित्सक कर्मियों का अभाव है तो प्रशिक्षण हेतु चिकित्सकों /परा-चिकित्सक कर्मियों के नाम महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये जायें।
- शासकीय सेवा प्रदाता चिकित्सकों का इम्पैनल्मैण्ट प्रत्येक दशा में किया जाये व उसे समय-समय पर अधुनान्त भी किया जाये।
- आवश्कतानुसार प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को भी रिफ्रेशरट्रेनिंगवइंडक्शन ट्रेनिंग हेतु नामित किया जाये।
- क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से लक्ष्य दम्पत्ति पंजिका को नियमित रूप से अधुनान्त किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस पर ए0एन0एम0/आशा/आगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से इन सेवाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुचाई जाये।
- नियत दिवस हेतु चयन किये गये प्रत्येक सेवा केन्द्र का पर्यवेक्षण जनपद स्तर से सुनिश्चित किया जाने हेतु प्रत्येक सेवा केन्द्रवार उप मुख्य/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पर्यवेक्षण हेतु नामित किया जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर भी माह में कम से कम 02 सेवा केन्द्र का स्वयं पर्यवेक्षण किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर भी इन सेवाओं की समीक्षा हेतु प्रकरण को समिति की बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित कर नियत दिवस सेवाओ के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की समीक्षा की जाये।
- यदि किसी सेवा केन्द्र पर सर्जन टीम की उपलब्धता सुनिश्चित नही हो पा रही है तो किसी अन्य सेवा केन्द्र के माध्यम से वहा पर भी टीम भेजकर नियत दिवस पर सेवायें प्रारम्भ की जायें।

उपरोक्त दिशा-निर्देशो के अनुसार संस्थानों पर नियत दिवस पर परिवार नियोजन सेवाओ को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-598(1)/पांच-9-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
(2) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in